कार्यालय वेदमाता गायत्री सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्यादित, इंदौर

पंजीयन क्रं. डी.आर./आई.डी.आर. 435 दिनांक 23/3/1987

क्रं. 22/ 123

दिनांक 27/06/2022

साधारण सभा की सूचना

वेद माता गायत्री सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्यादित, इंदौर के समस्त सदस्यो को सूचित किया जाता है कि संस्था की वार्षिक साधारण सभा दिनांक **31/07/2022 (रविवार)** को समय **प्रातः11.00 बजे स्थान वेद नगर कैलोद हाला** लसुडिया थाने के पीछे इंदौर पर आयोजित की गई है। जिसमे आपकी उपस्थिती अनिवार्य है। कोरम के अभाव मे बैठक आधे घण्टे स्थगित की जाकर इसी स्थान पर पुनः प्रारम्भ कर साधारण सभा की कार्यवाही सम्पन्न की जावेगी।

सभा मे निम्न विषयों पर विचार विमर्श किया जावेगा।

1. गत साधारण सभा मे लिये गये निर्णयो एवं कृत कार्यवाही की पुष्टि।
2. वर्ष 22–23 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के संबंध मे विचार।
3. वर्ष 21–22 के स्वीकृत बजट मे हुए कम/अधिक व्यय की स्वीकृती पर विचार एवं वर्ष 22–23 का बजट स्वीकृत करने पर विचार।
4. वर्ष 21–22 के अनअंकेक्षित पत्रको का वाचन एवं अनुमोदन एवं वर्ष 20–21 के अंकेक्षण टीप मे उल्लेखित आपत्तियो एवं उनके निराकरण के संबंध मे विचार एवं अनुमोदन।
5. पंजीकृत कृषि भू–भाग धारी सदस्यो द्वारा विकास शुल्क की पूर्ण राशि समय पर न देने अथवा आंशिक राशि प्राप्त होने से निर्माण कार्य बाधित होने से वर्तमान में लागत में वृद्धि होने से सदस्यों से विकास शुल्क की राशि बढ़ायी जाने के संबंध में विचार।
6. पूर्व में पंजीकृत कराये गये कृषि भू–भाग/अविकसित भूखंडधारी सदस्यों द्वारा गत आमसभाओं के निर्णय एवं समय–समय पर मांग अनुसार विकास शुल्क की राशि न जमा करने वाले सदस्यों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने पर विचार।
7. संस्था की अवैधानिक रुप से विक्रय की गयी भूमि के पंजीयन निरस्त हेतु प्रथम श्रेणी व्यवहार न्यायालय इंदौर के समक्ष वाद पर विचार।
8. अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

अध्यक्ष

वेदमाता गायत्री सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्या. इंदौर
वेद नगर ग्राम कॅलोद हाला, पानी की टंकी के नीचे, लसुड़िया
थाने के पीछे, इन्दौर

वार्षिक साधारण सभा

आज दिनांक 31/07/2022 (रविवार) को वेदमाता गायत्री सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्यादित, इंदौर की वार्षिक साधारण सभा पूर्व निर्धारित एजेन्डा अनुसार स्थान वेद नगर, कॅलोद हाला लसुडिया थाने के पीछे इंदौर पर समय प्रात: 11 बजे रखी गयी, जिसमें उपस्थिति निम्नवत रही।

क्रमांक	नाम	मोबाईल नं.	हस्ताक्षर
(1)	मनोज गुप्ता	9827211602	
(2)	अशोक गुप्ता	9827211602	
(3)			
(4)	Mridul Sharma	9977303066	
(5)	Dwarka nath mishra	9926083993	D. mishra
(6)			
(7)	अशोक कुमार [illegible]	[illegible]	अशोक कुमार
(8)	सुभाष गुप्ता	9424009172	सुभाष गुप्ता
(9)	अशोक जी	9669995335	
(10)	Alok K Nagar	9691422715	
(11)	Geeta Joshi	8225865160	Geeta
(12)	K. L. Chou[illegible]	9826133300	
(13)	गजेन्द्र प्रेमनारायण बिल्लोरे	9425081318	
(14)			
(15)	KIRAN GAJENDRA BILLORE	9425081318	
(16)	GULSHAN BILLORE	9425081036	
(17)	SHUBHANGI TIWARI (BILLORE)	7972725059	
(18)	[illegible]	[illegible]	
(19)	नन्दकिशोर राठौर	9893079017	
(20)			
(21)	[illegible]	9770045603	
(22)	शकुन्तला [illegible]	6260604168	
(23)	[illegible]	9425351346	
(24)	Gaurav Rawal	9098738550	
(25)	S. K. Sant	9826443714	

Emotions
PAGE NO.:
DATE:

कार्यालय
वेदमाता गायत्री सहकारी गृह निर्माण
संस्था मर्या., इन्दौर (म. प्र.)
वेदनगर कैलोद हाला
पानी की टंकी के नीचे, इन्दौर

क्रमांक	नाम	मोबाइल नं	हस्ताक्षर
(26)	संजय महाजन	09406661601	
(27)	हरविंदर सिंह डंग	989424052999 9826097657	
(28)			
(29)	श्रीमति सुगना शर्मा	7225041939	
(30)	शिवनारायण पटेल	9753737373	
(31)	प्रेमनारायण यादव	9827433134	
	सरस्वती बाई शिवनारायण पटेल	9111737373	सरस्वती
(32)	सीमा आवलेकर	99269 52337	
(33)	श्रीमति मनोरमा पति चैनसिंह पान्डे	94250-57398	
(34)	श्री राजेन्द्र कुमार जैन	9406616288	
(35)			
(36)	मनोज कोडे	9893272397	
(37)	मोहम्मद शफी s/o शौकत खाँ	9826783202	
(38)	Sunny Patel	989355 720	
(39)	नूर मोहम्मद	9826375386	
(40)	Devendra Joshi	9893709567	
(41)	Shailendra Agrawal	9999160 12145	
(42)	सोनू कुशवाह	9926550228	
(43)	प्रमोद कुमार दुबे	9926506841	
(44)	सुशीला w/o राधेश्याम मोर्य	9993387678	
(45)	हरीसिंह पाल	9009565201	हरीसिंह
(46)	कृष्णा यादव	9165637597	
(47)	अंकना तिवारी	9009229700	
(48)	अनिल कुमार मोदी	9893510212	
(49)		9165653737	
(50)	इन्दुबाला मोदी		
(51)	सूर्यकान्ता शर्मा	7723806573	S. Sharma
(52)	महेश शर्मा	7723806573	Sharma
(53)	कमला कमल किशोर वर्मा	9893024158	
(54)	शकुन्तला शर्मा (स्व. श्री छगनलाल जी शर्मा)	9399004953	शकुन्तला
(55)	(Praveen Vyas) Manoramavyas	9826094219	Praveen
(56)	Babulal Mehati	9425077624	
(57)	~~अरुण शर्मा~~	~~9425066189~~	
(58)	आशुतोष शर्मा	9425346610	
(59)			
(60)	संतोष खंडेलवाल	9302101158	

वेदमाता गायत्री सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्यादित, इंदौर
वेदनगर कैलोद हाला, लसुड़िया थाने के पीछे, इंदौर
साधारण सभा की कार्यवाही

आज दिनांक 31/07/2022 रविवार को समय प्रात: 11 बजे स्थान संस्था द्वारा विकसित कॉलोनी वेदनगर, कैलोद हाला, लसुड़िया थाने के पीछे, इन्दौर (म.प्र.) पर आयोजित की गयी। बैठक की अध्यक्षता श्री बाबुलाल मुकाती संस्था अध्यक्ष द्वारा की गयी। बैठक मे सहकारिता विभाग के नोडल अधिकारी श्री आनंद खत्री, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक भी उपस्थित हुए। बैठक की कार्यवाही गणपूर्ति के अभाव मे आधा घंटे स्थगित की जाकर पुन: इसी स्थान पर साधारण सभा की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

साधारण सभा मे निम्नांकित प्रस्तावों पर चर्चा कर सर्वानुमति से निर्णय लिये गए।

प्रस्ताव	ठहराव
(1) गत साधारण सभा में लिए गये निर्णयों एवं कृत कार्यवाही की पुष्टि।	(1) अध्यक्ष द्वारा आमसभा मे उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया कि संस्था की गत साधारण सभा दिनांक 26/09/2021 को आयोजित की गयी थी, का वाचन किया गया। साधारण सभा में लिए गये निर्णय एवं उनके अनुपालन मे संचालक मंडल एवं अध्यक्ष द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत किया गया। गत आमसभा मे मुख्यत: विषय संस्था की वेदनगर विकसित कॉलोनी के संबंध मे रहा तथा जिन सदस्यों द्वारा विकास शुल्क की राशि बार-बार मांग करने पर भी नहीं दी गयी, जिसके कारण कॉलोनी के विकास का कार्य प्रभावित हुआ तथा कलेक्टर, जिला इंदौर द्वारा दी गयी विकास अनुमति की समय-सीमा में विकास कार्य भी पूर्ण नहीं हो पाया। सर्वानुमति से संस्था द्वारा संस्था के संचालक मंडल एवं अध्यक्ष द्वारा की गयी कार्यवाही का अनुमोदन किया जाता है।

(2) वर्ष 22-23 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के संबंध में विचार।	(2) अध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58 के अंतर्गत अंकेक्षण की नियुक्ति करने का अधिकार संस्था की साधारण निकाय को है। अध्यक्ष द्वारा यह बताया गया कि संस्था विगत वर्षों से विभागीय संपरीक्षक से ही लेखा परीक्षण का कार्य कराती है तथा उनसे विभागीय मार्गदर्शन प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में वर्ष 2022-23 का अंकेक्षण विभाग के अंकेक्षण अधिकारी से कराये जाने का निर्णय लिया जाता है।
(3) वर्ष 21-22 के स्वीकृत बजट में हुए कम/अधिक व्यय की स्वीकृति पर विचार एवं वर्ष 22-23 का बजट स्वीकृत करने पर विचार।	(3) अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत बजट में हुए कम/अधिक हुए व्यय का परिशिष्ट 'अ' अनुसार विवरण प्रस्तुत किया गया। जिन मदों में स्वीकृत सीमा से अधिक व्यय हुआ है, उसका सकारण विवरण प्रस्तुत किया गया। उक्त परिशिष्ट में उल्लेखित कार्यवाही का अनुमोदन किया जाता है एवं वर्ष 2022-23 का प्रस्तावित बजट जो परिशिष्ट 'ब' में है, स्वीकृत किया जाता है।
(4) वर्ष 21-22 के अनअंकेक्षित पत्रकों का वाचन एवं अनुमोदन एवं वर्ष 20-21 के अंकेक्षण टीप में उल्लेखित आपत्तियों एवं उनके निराकरण के संबंध में विचार एवं अनुमोदन।	(4) संस्था अध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था के वर्ष 2021-22 के अन-अंकेक्षित वित्तीय पत्रकों का वाचन किया गया तथा उक्त पत्रक का अनुमोदन किया गया। संस्था का वर्ष 2020-21 का अंकेक्षण कार्य पूर्ण होकर अंकेक्षण टीप संस्था को प्राप्त हो गयी है। अंकेक्षण टीप का वाचन एवं पालन प्रतिवेदन का वाचन संस्था अध्यक्ष द्वारा सभा के समक्ष किया गया। उक्त कृत कार्यवाही का सर्वानुमति से अनुमोदन किया जाता है।
(5) पंजीकृत कृषि भू-भाग धारी सदस्यों द्वारा विकास शुल्क की पूर्ण राशि समय पर न देने अथवा आंशिक राशि प्राप्त	(5) अध्यक्ष द्वारा उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया कि कलेक्टर जिला इंदौर द्वारा संस्था को वेदनगर कॉलोनी विकसित करने की अनुमति 05 अगस्त 2017 को दी

होने से निर्माण कार्य बाधित होने से वर्तमान में लागत में वृद्धि होने से सदस्यों से विकास शुल्क की राशि बढ़ायी जाने के संबंध में विचार।	गयी थी, जिसकी समय-सीमा 05 अगस्त 2021 तक थी, परंतु सदस्यों द्वारा समय-समय पर विकास शुल्क की राशि जमा न कराने के कारण समय-सीमा में विकास कार्य पूर्ण नहीं हो पाया और संस्था को समय-सीमा बढ़ाने का निवेदन कलेक्टर जिला इंदौर से किया गया। म.प्र. भूमि विकास नियम के अनुसार मात्र एक वर्ष के लिए अवधि बढ़ायी जाना संभव है अर्थात् किसी भी दशा में संस्था को 05 अगस्त 2021 तक विकास कार्य पूर्ण करना था। इस अप्रिय स्थिति के लिए उपस्थित सदस्यों ने ऐसे डिफॉल्टर सदस्यों के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया गया एवं कठोर कार्यवाही का निर्णय लिया गया।
	अध्यक्ष द्वारा उपस्थित सदस्यों को यह भी अवगत कराया गया कि संस्था के द्वारा कॉलोनी का विकास कार्य 05 अगस्त 2017 से प्रारंभ कर दिया था, परंतु सदस्यों द्वारा विकास शुल्क संपूर्ण देय राशि जमा न करने के कारण आंशिक विकास कार्य हो पाया है। वर्तमान में सीमेंट एवं लोहे के भाव में बेतहाशा वृद्धि होने से कोई भी ठेकेदार पुराने रेट पर कार्य करने को तैयार नहीं है। संस्था अध्यक्ष द्वारा शेष विकास कार्य के संबंध में प्रस्तावित प्राकलन पत्र तैयार किया गया था। जिसमें सिविल वर्क का रोड कार्य, इलेक्ट्रीफिकेशन एवं सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट इत्यादि पर लगभग 3.40 करोड़ व्यय प्रस्तावित है। विकास शुल्क में वृद्धि किये बिना कार्य संभव नहीं है। उक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए एवं दी गयी समय सीमा में विकास कार्य को पूर्ण करने एवं विकास शुल्क में वृद्धि

	किये जाने के लिए संचालक मंडल को अधिकृत किया जाता है। उक्त कार्य एक माह की समयावधि में अनिवार्य रूप से संपादित करे।
(6) पूर्व में पंजीकृत कराये गए कृषि भू-भाग/अविकसित भूखंड धारी सदस्यों द्वारा गत आमसभाओं के निर्णय एवं समय-समय पर मांग अनुसार विकास शुल्क की राशि न जमा करने वाले सदस्यों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाई करने पर विचार।	(6) संस्था अध्यक्ष द्वारा सभा में उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया कि 2004 के पूर्व के संचालक मंडल द्वारा संस्था की धारित भूमि ग्राम कैलोद हाला पर बिना शासकीय/अर्द्धशासकीय अनुमति प्राप्त किये बिना ही लगभग 280 सदस्यों को कृषि भू-भाग/अविकसित भूखंडधारी सदस्यों को भूखंडों का पंजीयन कराया गया था। वर्ष 2012 के पश्चात निर्वाचित संचालक मंडल द्वारा प्रस्तावित कैलोद हाला की भूमि पर शासकीय/अर्द्धशासकीय अनुमतियाँ/अनुज्ञायें प्राप्त की जाकर वेदनगर कॉलोनी विकसित की जा रही है। संस्था का यह प्रयास था कि उक्त 280 कृषि भू-भाग/अविकसित भूखंडधारी सदस्यों से विकास शुल्क की राशि प्राप्त की जाकर कॉलोनी का विकास कार्य कराया जाये। कलेक्टर जिला इंदौर द्वारा 05 अगस्त 2017 को कॉलोनी विकास की अनुमति 03 वर्ष के लिए प्रदान की है, परंतु संस्था के अधिकांश सदस्यों ने देय विकास शुल्क की राशि का गत साधारण सभाओं में लिए गए निर्णय एवं मांग सूचना पत्र जारी करने के पश्चात भी राशि जमा नहीं करायी गयी। इसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है- (1) संस्था की विशेष साधारण सभा दिनांक 10/05/2015 के प्रस्ताव क्रमांक 01 के द्वारा संस्था की कॉलोनी के विकास के लिये विकास शुल्क की राशि 200/- रूपये प्रति वर्गफीट निर्धारित की गयी थी। उक्त विशेष साधारण सभा में विभागीय शासकीय प्रतिनिधी श्री प्रमोद तोमर सहकारी निरीक्षक उपस्थित रहे। विशेष आमसभा के उक्त निर्णय के अनुपालन में कृषि भू-भाग/अविकसित भूखंड

कार्यालय
वेदमाता गायत्री सहकारी गृह निर्माण
संस्था मर्या., इन्दौर (म. प्र.)
वेदनगर कैलोद हाला
पानी की टंकी के नीचे, इन्दौर

PAGE NO.
DATE:

धारी सदस्यो के सूचनार्थ दैनिक समाचार अग्निबाण एवं दबंग दुनिया मे दिनांक 10 अक्टोबर 2014 एवं दिनांक 19/02/2015 को प्रकाशित करवायी गयी एवं उन्हे व्यक्तिशः मांग पत्र सूचना भी दिनांक 15/06/2015 को भेजा गया, परंतु सभी सदस्यो द्वारा विकास शुल्क की राशि जमा नहीं करवायी गयी। जिसके कारण संस्था द्वारा कॉलोनी का विकास कार्य विलंब से दिनांक 05/08/2017 को प्रारंभ किया। संस्था सदस्यो द्वारा समय-समय पर दी गयी आंशिक विकास शुल्क की राशियों से विकास कार्य प्रारंभ किया गया।

(2) संस्था की साधारण सभा दिनांक 25/01/2016 के प्रस्ताव क्रमांक 4 के द्वारा विकास शुल्क की पूर्ण राशि जमा न करने वालों सदस्यो को अंतिम सूचना पत्र जारी करने एवं 02 माह मे राशि जमा न करने पर शास्ति अधिरोपित करने एवं अन्य वैधानिक कार्यवाही का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के अनुपालन मे अध्यक्ष द्वारा दिनांक 04/03/2017, 27/04/2017 को सभी सदस्यों को पंजीकृत मांग सूचना पत्र भेजा जाकर देय विकास शुल्क की संपूर्ण राशि जमा करने का अनुरोध किया गया था, परंतु उक्त मांग सूचना पत्र जारी होने के उपरांत भी अधिकांश सदस्यो ने अपनी देय विकास शुल्क की राशि जमा नहीं करायी गयी। संस्था द्वारा आमसभा के निर्णय के परिपालन मे ऐसे विकास शुल्क के बकायादार सदस्यो को पंजीकृत पत्र दिनांक 04/03/2017 को जारी किया गया। इसके उपरांत भी अधिकांश सदस्यो ने देय विकास शुल्क की पूर्ण राशि जमा नहीं करायी।

(3) संस्था की साधारण सभा दिनांक 23/09/2018 के प्रस्ताव क्रमांक 6 के अनुसार 32 कृषि भू-भाग/ अविकसित भूखंडधारी सदस्यो द्वारा विकास शुल्क की कोई राशि जमा नहीं करायी गयी।

कार्यालय
वेदमाता गायत्री सहकारी गृह निर्माण
संस्था मर्या., इन्दौर (म. प्र.)
वेदनगर कैलोद हाला
पानी की टंकी के नीचे, इन्दौर

PAGE NO.:
DATE:

52 कृषि भू-भाग/अविकसित भूखंडधारी सदस्यो के द्वारा देय विकास शुल्क की संपूर्ण राशि जमा न कर नाममात्र विकास राशि जमा करायी गयी, के नामो का वाचक साधारण सभा मे किया गया एवं साधारण सभा द्वारा ऐसे सदस्यो के विरूद्ध सख्त कार्यवाही का निर्णय लिया गया।

(4) संस्था की साधारण सभा दिनांक 22/09/2019 के प्रस्ताव क्रमांक 06 के अनुसार विकास शुल्क की राशि जिन सदस्यो ने जमा नहीं की, उसके लिए आमसभा मे वसूली के लिए कमेटी भी गठित की गयी और कमेटी और संचालक मंडल द्वारा वसूली के सघन प्रयास किये गये। परंतु फिर भी पूर्ण विकास शुल्क की राशि 32 सदस्यों से अप्राप्त रही।

(5) संस्था की साधारण सभा दिनांक 30/09/2020 के प्रस्ताव क्रमांक 06 साधारण सभा बैठक दिनांक 26/09/2021 के प्रस्ताव क्रमांक 07 मे भी ऐसे कालातीत सदस्य जिन्होंने बार-बार सूचना पत्र के उपरांत भी विकास शुल्क की राशि जमा नहीं की उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त आमसभाओ मे लिये गए निर्णयो संस्था द्वारा पंजीकृत डाक से प्रेषित किये गये मांग सूचना पत्रो, कारण बताओ सूचना पत्रो एवं दैनिक समाचार पत्रो मे प्रकाशित सूचना के उपरांत भी 25 ऐसे सदस्य है जिन्होंने देय विकास शुल्क का एक भी रूपया जमा नहीं किया। ऐसे सदस्यो को अंतिम सूचना पत्र जारी करे, राशि जमा न कराने की स्थिति मे ऐसे सदस्यो को संस्था की निकटतम स्थित भूमि 7.1 एकड़ के निराकरण के पश्चात इनमे समावेश किया जायेगा। उक्त कार्यवाही हेतु संचालक मंडल एवं अध्यक्ष को अधिकृत किया जाता है।

अध्यक्ष द्वारा उपस्थित सदस्यो को अवगत कराया गया कि 85 कृषि भू-भाग/अविकसित

Emotions
PAGE NO.:
DATE:

	भूखंडधारी सदस्यों द्वारा बार-बार मांग सूचना पत्र भेजने तथा आमसभाओं के निर्णय के पालन में नाममात्र विकास शुल्क की आंशिक राशियां जमा करायी गयी है। पूर्ण राशि जमा नहीं करायी गयी है। गत साधारण सभा दिनांक 25/09/2016 के प्रस्ताव क्रमांक 04 के अनुसार जिन सदस्यों ने विकास शुल्क की पूर्ण राशि जमा नहीं की उनसे 18% ब्याज सहित राशि वसूली का निर्णय लिया गया। उपरोक्त सदस्यों को अंतिम कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने एवं राशि जमा न करने की स्थिति में भूमि 7.1 एकड़ के निराकरण के पश्चात इनमें समावेश किया जावेगा। उक्त कार्यवाही हेतु संचालक मंडल एवं अध्यक्ष को अधिकृत किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि म.प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 72 (बी ख) के अंतर्गत कार्यवाही करे।
(7) संस्था की अवैधानिक रूप से विक्रय की गयी भूमि के पंजीयन निरस्त हेतु प्रथम श्रेणी व्यवहार न्यायालय इंदौर के समक्ष वाद पर विचार।	(7) संस्था अध्यक्ष द्वारा उपस्थित सदस्यों को बताया गया कि पूर्व के संचालक मंडल द्वारा सदस्यों को कृषि भू-भाग/अविकसित भूखंडों का पंजीयन कराये जाने के पश्चात भी इसी में से 7.10 एकड़ भूमि विक्रय किया गया था। उक्त विक्रय पत्र को शून्य करने हेतु एवं शेष सदस्यों को भूखंड उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। उक्त प्रकरण माननीय व्यवहार न्यायालय प्रथम श्रेणी के समक्ष विचाराधीन है तथा 04 विभिन्न सर्वे नंबरों की भूमि का संयुक्तीकरण कर अन्य किसी को बेचने तथा उस पर गोदाम निर्माण के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर संस्था द्वारा प्रकरण में इनको भी शामिल कराया गया है।
(8) अन्य विषय अध्यक्ष	(8) संस्था अध्यक्ष द्वारा उपस्थित सदस्यों

कार्यालय
वेदमाता गायत्री सहकारी गृह निर्माण
संस्था मर्या., इन्दौर (म. प्र.)
वेदनगर कैलोद हाला
पानी की टंकी के नीचे, इन्दौर

PAGE NO.:
DATE:

महोदय की अनुमति से को अवगत कराया गया कि उपायुक्त सहकारिता जिला इंदौर के माध्यम से गृह निर्माण संस्था की आदर्श उपविधी प्राप्त हुई। आदर्श उपविधी का वाचन साधारण सभा के समक्ष किया गया। आदर्श उपविधीयाँ सर्वानुमति से अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपस्थित साधारण सभा में लसुड़िया मोरी के श्री मनोज बोरडे सदस्य द्वारा लसुड़िया मोरी की भूमि के लिये जिसका कि भू-उपयोग आवास से भिन्न होकर परिवहन मार्ग है। उक्त प्रयोजन के संशोधन/परिवर्तन/निराकरण के संबंध में एक बैठक आयोजित करने का निवेदन किया गया। उक्त सदस्यों की बैठक संस्था अध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक 21/08/2022 को आयोजित करने का निर्णय लिया जाता है। वेब पोर्टल की जानकारी भी दी गयी। अन्य कोई विषय शेष न होने से बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

प्रबंधक
गायत्री सहकारी गृह निर्माण
संस्था मर्या. इन्दौर

वेद माता गायत्री सहकारी गृह निर्माण
संस्था मर्या. इन्दौर

बोर्ड आॅफ.